संख्या- 2-2525/77-3-14-3(बजट)/2014

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमतीनगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 **लखनऊ:दिनांक: 16 जनवरी, 2015**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2014-15 में "आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना" के लिए यूपीडा हेतु प्राविधानित धनराशि में से मोबिलाइजेसन अग्रिम की द्वितीय किस्त धनराशि को अग्रिम के रूप में अवमुक्त् किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्र संख्या-1464/यूपीडा/08/147-III, दिनांक 11.12.2014 "आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना" के लिये यूपीडा हेतु प्राविधानित धनराशि 600.00 करोड़ में अवशेष धनराशि में से मोबिलाइजेसन अग्रिम की द्वितीय किस्त के मद में धनराशि अवमुक्त् किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹265.0525 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित

http://shasanadesh.up.nic.in

शर्तो के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1)निम्नलिखित निर्माणकर्ता कम्पनियों को मोबिलाइजेशन अग्रिम की द्वितीय किस्त(बिड धनराशि 5 प्रतिशत)निम्नवत अनुमन्य होगी :-

(धनराशि करोड़ में)

पैकेज संख्या व नाम	**चयनित निर्माणकर्ता का नाम**	**बिड धनराशि**	**मोबलाईजेशन एडवान्स की द्वितीय किस्त (बिड धनराशि का 5 प्रतिशत)**
1	2	3	4
पैकेज संख्या-1 आगरा से फिरोजाबाद	मे0पीएनसी इन्फ्राटेक लि0	1635.75	81.7875
पैकेज संख्या-2 फिरोजाबाद से इटावा	मे0एफकान इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लि0	1990.49	99.5245
पैकेज संख्या-3 इटावा से कन्नौज	मे0 एनसीसी लि0	1674.81	83.7405
	कुल योग-	**5301.05**	**265.0525**

(2)उक्त अग्रिम की धनराशि का आहरण् एकमुश्त न करके केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार फेजिंग करते हुए किया जायेगा तथा

http://shasanadesh.up.nic.in

आहरित अग्रिम की धनराशि को यूपीडा अथवा अन्य किसी के बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) अग्रिम धनराशि सक्षम स्तर के अनुमोदन से नियमानुसार व्यय की जायेगी तथा प्रश्नगत अग्रिम की धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014,दिनांक 22.07.2014 तथा वित्त (लेखा)-1 द्वारा जारी शा0सं0-ए-1-2774/दस'-15-1(1)/69, दिनांक 25.10.83 एवं शा0सं0-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69, दिनांक 10-06-2011 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों तथा दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4)धनराशि का लेखा-जोखा यूपीडा द्वारा रखा जायेगा तथा मासिक व्यय विवरण संबंधित से प्राप्त कर वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र बी0एम0-13 में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 एवं औद्योगिक विकास अनुभाग-3, उ0प्र0शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2. उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही अग्रिम धनराशि 265.0525 करोड़ का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-"5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे परियोजना-24 बृहत निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-एफ0 ए-1-08/दस-2015, दिनांक 12.01.2015 में उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अनिल कुमार

अनु सचिव।

<u>संख्या-2525(1)/77-3-14-तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1.महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2.महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5.वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2।
6.वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4 ।
7.गार्ड पत्रावल।

आज्ञा से,

अनिल कुमार

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in